

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना  
(प्रथम आमंत्रण)

निविदा आमंत्रण सूचना सं० - DWSD/Gumla/Murgu/09/2017-18

दिनांक – 11.09.2017

1	कार्य का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत गुमला जिला के मुर्गु एवं निकटवर्ती ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत सर्वे, विभिन्न अवयवों के डिजाईन एवं ड्राईंग कार्य, आर० सी० सी० इंटेकवेल-सह-पम्प हाउस, आर० सी० सी० गैंगवे, गैरपारम्परिक जलषोध संस्थान, आर०सी०सी० जलमीनार, स्टाफ क्वार्टर, चहारदिवारी आदि का निर्माण कार्य, रॉ एवं शुद्ध राइजिंग एवं वितरण मेन हेतु डी०आई० पाइपों की आपूर्ति तथा बिछाने जोड़ने का कार्य, वी०टी० एवं सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प्स आदि की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं दो वर्षों तक परिचालन एवं सम्पोषण एवं अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य "टर्न की" के आधार पर।	
2	प्राक्कलित राशि :-	373.13 लाख रुपये
3	अग्रधन की राशि :-	3.74 लाख रुपये
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि :-	21माह + 3माह for Trial Run for Rectification of defects etc.
5	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :-	15.09.17, 02.00 बजे अपराहन तक।
6	प्री बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :-	25.09.17, 03.00 अपराहन से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, राँची का कार्यालय, डोरण्डा, राँची।
7	बीड प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय :-	06.10.2017, 5.00 बजे अपराहन तक।
8	बैंक गारंटी एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय :- बैंक गारंटी एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने का स्थान	09.10.2017, 5.00 बजे अपराहन तक, कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला के कार्यालय में
9	निविदा के तकनीकी बीडों के खोलने की तिथि एवं समय :-	10.10.2017, 11.00 बजे पूर्वाहन से
10	निविदा के वित्तीय बीडों के खोलने की तिथि :-	बाद में सूचित किया जाएगा
11	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी एवं कार्यालय का पता :-	कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।
12	प्रोक्योरमेंट कार्यालय का सम्पर्क नं०	06524-223058
13	ई प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं०	9431163487

नोट :- (1) वैसे संवेदक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित नहीं हैं, वे भी निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्यावंटन के 60 दिनों के अन्दर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधन करवा लेना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय पत्रांक 676(CDO) दिनांक 20.10.2012 के अनुसार इस आषय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि राज्यान्तर्गत किसी भी थाने में उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है और वे निविदा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

(2) परिमाण विपत्र के अनुसार निविदा की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकता है। तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://jharkhandtenders.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

ह०/—

कार्यपालक अभियन्ता,

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला।

PR No: 170167(Drinking Water and Sanitation)

